विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(11वीं योजना के दिशा निर्देश)

महाविद्यालयों में उपकरणों के रख रखाव की सुविधा

1. प्रस्तावना

21वीं शताब्दी में आने वाले दशक निःसन्देह बहुत चुनौतीपूर्ण हैं । भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया ने उद्योग जगत को इस जरूरत के प्रति अधिकाधिक रूप से जागरूक बनाया है कि हमारे यहाँ विज्ञान एवं तकनीकी में प्रशिक्षित जनशक्ति की कितनी आवश्यकता है । उच्च शिक्षा प्रणाली पर इस बात की माँग उठ गई है कि विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है । अध्यापन और शोध कार्य के लिए जो जरूरी आधारभूत संरचना है उसके सशक्तिकरण करने के प्रति और भी अधिक निवेश किये जायें और प्रशासनिक कार्यक्षमता के सारे स्तरों पर सुधार लाया जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन परिवर्तनों के सम्भावित प्रभाव को पहचाना है और निधियन करने वाली कई अन्य एजेंसियों (Funding Agencies) के साथ, अभी कुछ समय पूर्व ही कई कार्यक्रमों का सूत्रपात किया है । इन कार्यक्रमों द्वारा इस बात का संकेत मिला है कि महाविद्यालय में अपने विभागों में किए जाने वाले शोध कार्य के लिए परिष्कृत उपकरणों को उपलब्ध कराये और अध्यापन के लिए प्रयोगशाला के सामान्य उपकरणों को भी उपलब्ध कराये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना है और प्रशासनिक क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने की क्रिया आरम्भ कर दी है और साथ ही महाविद्यालायों में पुस्तकालयों के स्वचालीकरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। परिणामतः हमारे यहाँ के महाविद्यालयों में उपकरणों और आधुनिक इलेक्ट्रोनिक और लोहे के उपकरणों का विशाल भंडार विद्यमान है जो कि समय के साथ साथ और बढ़ता जायेगा और इसलिए उन समस्त उपकरणों का रख रखाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि उनका बहुत

निपुणता और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके । आयोग का इस बारे में ऐसा मानना है कि आधारभूत संरचना के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में, सहगामी, जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उच्च शिक्षा प्रणाली द्वारा स्वयं को तत्पर बनाना होगा । मुख्य रूप से बल इस बात पर दिया गया है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में उपकरणों और आधुनिक इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के रख रखाव के लिए क्षमता और बढ़ाई जाये ।

ऐसे स्वायत्तशासी और स्नातकोत्तर स्तर वाले महाविद्यालय, जिनमें विज्ञापन के विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं –इनमें, सारे स्तरों पर विज्ञापन शिक्षा में और अधिक सुधार लाने के प्रयासों को समर्थन देने के हेतु, विश्वविवद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसी इकाइयों को स्थापित करने का निर्णय लिया है जिनको कि उपकरण रखरखाव सुविधाएँ यह नाम दिया गया है ।(Instument maintenance facilities) । इस योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसे आवश्यक औजारों/उपकरणों को उपलब्ध करायेगा जो कि इलेक्ट्रोनिक और लोहे के उपकरणों को सुधारने और उनके रखरखाव के लिए उपयोगी हैं और इसके साथ ही योग्य स्टाफ सदस्यों को भी नियुक्त करेगा । ऐसे योग्य स्टाफ के सदस्यों को रखने का आधार यही होगा कि उस संबद्ध संस्थान में मौजूद उपकरणों व लोहे के उपकरणों का क्या आकार/भंडार है और इनको देखते हुए ही जो कुल कार्यभार बनेगा उसे निर्धारित किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना को यथासंभव समस्त संस्थानों तक विस्तारित करने का इच्छुक है और इसके साथ ही सेवाएँ प्रदान करने के मामले में पूर्ण रूप से निपुणता भी बनाए रखना चाहता है । उपकरण रखरखाव सुविधाओं के जितने केन्द्र होंगे वे परस्पर नेटवर्क द्वारा जुड़े रहेंगे–साथ ही आयोग के साथ भी सम्पर्क बनाए रखेंगे–जिससे कि न केवल परस्पर अनुभव का, बल्कि विचारणाओं का भी आदान–प्रदान संभव होगा और योजना का सूक्ष्म पर्यवेक्षण भी संभव हो सकेगा ।

उद्देश्य

अ. कार्यक्रम का उद्देश्य

उपकरण रखरखाव सुविधा कार्यक्रम के निम्न लक्ष्य है :

i स्वायत्तशासी और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों द्वारा उपकरण रखरखाव सुविधाओं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना । यह सुविधाएँ इन संस्थानों में एक आवश्यक, सहायक आधारभूत संरचना के रूप में रहेंगी और ऐसी सुविधाएँ, अपने वैज्ञानिक और इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के, प्रभावी और कुशल रख रखाव को बनाए रखेगी ।

ii "उपकरण रखरखाव सुविधा" कार्यक्रम द्वारा विकासात्मक निवेशों के रूप में पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराना, प्राध्यापकगण को नियुक्त करना और वैज्ञानिक उपकरणों व इलैक्ट्रोनिक लोहे के उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव के लिए औजार/उपकरण उपलब्ध कराना ।

iii आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण के द्वारा उस कुशलता को अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुँचाना जो कि वैज्ञानिक उपकरणों और इलैक्ट्रोनिक के उपकरणों की मरम्मत के रखरखाव के लिए जरूरी है ।

iv देश भर में समान रूप जितने भी इस प्रकार के एकांश हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा उन सबको परस्पर संबद्व करना, ताकि अपने अनुभवों और विचारों के आदान प्रदान के द्वारा परस्पर अपने निष्पादन में और अधिक सुधार ला सकें ।

v इस योजना का उपयोग करने वालों के प्रति जैसे – छात्र, अध्यापक आदि के लिए यह कितनी प्रभावपूर्ण है और इस योजना के प्रति इन सबों की क्या जवाबदेही है– इन सब बातों को देखते हुए इस योजना की गतिविधि का पर्यवेक्षण करना।

उपकरण रखरखाव सुविधाएँ

इस योजना द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि स्वायत्तशासी तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उपकरण रखरखाव की एक समन्वित प्रणाली बन सके जिसके द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों तथा इलैक्ट्रोनिक लोहे के उपकरणों – जैसे "पर्सनल कम्प्यूटर" और उनके उपसाधन आदि का सुधार और रखरखाव किया जा सके । ऐसे उपकरण और लोहे के इलैक्ट्रोनिक उपकरण जो कि संबद्ध संस्थानों में पहले से ही मौजूद हैं– उनके विस्तृत सर्वेक्षण करने पर ही यह निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तकनीकी स्टाफ और उपकरणों के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए । उपकरण रखरखाव सुविधा केन्द्रों से यह आशा की जाती है वे नियमित रूप से निवारक रख रखाव को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही जो भी उपकरण तथा लोहे के इलैक्ट्रोनिक उपकरण– जो कि प्रयोक्ताओं द्वारा उन केन्द्रों की देखरेख में रखे गए हैं– उन पर वे मरम्मत का काम करायें अथवा उनके दोषों का सुधार करके उनका रखरखाव करें।

प्रयोक्ता द्वारा एक प्रतिहस्ताक्षरित और विस्तृत आरूप द्वारा उपकरण रखरखाव सुविधा केन्द्र की जवाबदेही भी प्रलेखित हो जायेगी । प्रत्येक उपकरण के रखरखाव के लिए जो भी कार्यवाही की गई है– प्रत्येक उपकरण रखरखाव केन्द्र द्वारा उसका विवरण दिया जायेगा । उपकरण रखरखाव सुविधा केन्द्र की गतिविधि की समेकित सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इलैक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा प्रतिमाह उपलब्ध कराई जायेगी । आई.एम. एफ. (उपकरण रख रखाव सुविधा केन्द्र) के कर्मचारियों को क्षेत्रीय उपकरण सहायक केन्द्रों मे प्रशिक्षण दिया जायेगा या देशों के अन्य केन्द्रों में भी दिया जा सकता है और आवश्यकतानुसार नवीन तकनीकी में अथवा नवीन प्रणालियों में इसका प्रशिक्षण दिया जायेगा । आइ.एम.एफ. द्वारा इनको प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि वे सामूहिक कार्य की प्रवृत्ति को अपनायें जिससे कि उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो का आई.एस.ओ. 9000 का प्रमाणीकरण मिल जाये।

3. पात्रता/लक्ष्य प्राप्तकर्ता समूह

कोई भी ऐसा महाविद्यालय जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुभाग –2(एफ) तथा अधिनियिम 1956 के अंतर्गत 12 (बी) के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है, वह महाविद्यालय, आई.एम.एफ. की योजना के अंतर्गत अपने संस्थान में ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

4. इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता का स्वरूप

इस योजना के अंतर्गत 11वीं योजना के अंत तक अर्थात् 31 मार्च, 2012 तक आयोग द्वारा निम्न शीर्षों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी :

अ आवर्ती

	कर्मचारी वेतन	रूपये पै0
	अ. तकनीकी अधिकारी– 15000/– प्रतिमाह अनुबन्धात्मक आधार पर	1,80,000/ – प्रतिवर्ष
	ब. तकनीकी –2 11000/–प्रति माह (अनुबन्धात्मक आधार पर अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जे, संघटक, प्रासंगिकी व्यय जो उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए हैं– प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,40,000/– प्रतिवर्ष 1,00,000/–प्रतिवर्ष 50,000/–प्रतिवर्ष
	कुल	रूपये – 5,70,000/– प्रतिवर्ष
	तकनीकी अधिकारी	एक
	न्यूनतम योग्यता :	बी.ई./टेक अथवा उपकरणों/इलैक्ट्रोनिक में समतुल्य योग्यता जिसके लिए सुधार कार्य और रखरखाव का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
	तकनीशियन	2

	न्यूनतम योग्यता	(उपकरणों/इलैक्ट्रोनिक में 3 वर्ष के अनुभव के साथ अथवा आई.टी. आई. या इसके समतुल्य संस्थान से डिप्लोमा या इसके समतुल्य योग्यता इसके साथ ही सुधार कार्य और उपकरणों के रख रखाव के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
	समेकित वेतन	रू0 10,000/–प्रतिमाह

यह समस्त नियुक्तियाँ अनुबन्धात्मक होंगी और इन कार्यक्रमों की अवधि तक के लिए होंगी ।

"ब" अनावर्ती (समस्त 11वीं योजना की काल अवधि के लिए "एकैकी" अनुदान के रूप में)

"सी.आर.ओ., "मल्टीमीडिया", डी.वी.एम.", "सिग्नल जैनरेटर" आदि – रू0 2.00 लाख

"पर्सनल कम्प्यूटर" – जिसमें साफ्टवेयर भी सम्मिलित होगा – रू0 2.00 लाख

कुल रू0 – 4.00लाख

इस योजना के अंतर्गत जो स्वीकार्य अनुदान बनेगा वह अनुदान इस शर्त पर दिया जायेगा यदि संबद्ध महाविद्यालयों के द्वारा नियुक्तियों को लेकर निम्न मानदण्डों का यथेष्ट रूप से पालन किया जाता है :

स्टाफ़ का वेतन जो निम्न दस्तावेजों के मिलने के बाद ही स्वीकार किया जाएगा :–

i नियुक्तियों के लिए दिये गए विज्ञापनों का लिखित साक्ष्य

ii चयन समिति की मीटिंग की कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट जो कि समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो ।

iii तकनीकी अधिकारी और तकनीकी सहायकों के पदों पर जिनका चयन किया गया है उनकी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्याताओं का लिखित साक्ष्य

iv महाविद्यालय द्वारा जो नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर, जो अधिसूचना जारी की गई है उसकी एक प्रति

v कार्य ग्रहण रिपोर्ट

आयोग ने अपनी 19.05.2009 की मिटिंग में यह निर्णय लिया है कि जिन महाविद्यालयों ने "आई.एम.एफ." योजना के अंतर्गत 10वीं योजना काल के दौरान सहायता राशि का लाभ उठाया है–ऐसे महाविद्यालय, 11वीं योजना की काल अवधि के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 2012 तक सहायता राशि को प्राप्त करने के पात्र होंगे । भविष्य में (11वीं योजना के पश्चात्) यहाँ महाविद्यालय रखरखाव से जुड़े वार्षिक अनुबंधों को चुन सकता है क्योंकि ऐसे अनुबंध और अधिक तौर से मितव्ययी रहेंगे ।

5. योजना के अंतर्गत आवेदन की विधि

"आई.एम.एफ." (रखरखाव केंद्र) की स्थापना के लिए, विश्वविद्यालय एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है– आयोग द्वारा विहित आरूप में इस विषय का प्रस्ताव भेजा जा सकता है (संलग्नक –1) जिस समय भी आयोग इस विषय पर आवेदन माँगता है ।

6. आयोग द्वारा अनुमोदन करने की विधिः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक समिति ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और इस योजना के अंतर्गत कुछ संस्थानों के चयन की अनुशंसा करेगी और साथ ही आर्थिक सहायता के लिए भी अनुमोदन करेगी। यदि आवश्यक समझा गया तो आयोग, किसी भी संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के

लिए कह सकता है जो भी सहायता ऐसे चयनित संस्थान को दी जानी है– आयोग उसकी प्रमात्रा के बारे में भी विशिष्ट अनुशंसा करेगा ।

7. आयोग द्वारा अनुदान देने की विधि

आयोग द्वारा किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदित करने के पश्चात्, योजना के प्रथम वर्ष के लिए अनावर्ती और आवर्ती अनुदानों का भुगतान आयोग द्वारा किया जायेगा । आगे के समय के वास्ते आवर्ती अनुदान का भुगतान इन दस्तावेजों के मिलने के बाद ही किया जायेगा– वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट, व्यय का विवरण और एक प्रयोज्यता प्रमाण पत्र और यह समस्त दस्तावेज वार्षिकी स्तर पर भेजे जाने चाहिए ।

8. मूल्यांकन का प्रबोधन करना

योजना की प्रगति का प्रबोधन निम्न रूप से किया जायेगा :–

i विश्वविद्यालय स्तर पर प्रबोधन करना– जो कि उपकरण रखरखाव सुविधाओं के एकांश द्वारा की गई सुधार और रखरखाव की क्रियाकलापों के विषय में एक आरूपित दस्तावेज के माध्यम से उस प्रबोधन के लिए प्रयोग किया जायेगा ।

ii ऐसी मासिक रिपोर्ट जो प्रत्येक वर्ष के लिए समेकित हैं और जिनका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जा चुका है उन रिपोर्टों द्वारा योजना की प्रगति का प्रबोधन किया जायेगा।

iii दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आयोग इस योजना का मूल्यांकन करेगा ।

संलग्नक–1

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपकरण रखरखाव सुविधाएँ (आई.एम.एफ.) की योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए निदर्शन–पत्र

1	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम :	
	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूरा पताः ई मेल, आई.डी., फ़ैक्स नं., टेलीफोन नम्बर	
	"आई.एम.एफ." द्वारा सेवा/सहायता जिन को दी जाने वाली है विश्वविद्यालय के/महाविद्यालय के उन विभागों का नाम	
	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागों में जो शोध योजनाएँ वर्तमान में सक्रिय हैं – उन योजनाओं की संख्या	

5. तकनीकी कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा (जो कि उपकरणों की सेवा समर्थन को उपलब्ध कराते हैं) जो कि विश्वविद्यालय के विभाग/महाविद्यालय के विभाग में है ।

विभाग/केन्द्र का नाम	तकनीकी कर्मचारियेां अथवा उनके समकक्ष	तकनीकी अधिकारी अथवा उनके समकक्ष
कुल नं.		

6. अ. क्या आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र हैं

ब. यदि हाँ, तो आपके वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र का स्तर क्या हैं ।

7. अ. आई.एम.एफ. की देखरेख में लिए जाने वाले उपकरणों का विस्तृत ब्यौरा

उपकरण का नाम उपकरणों की संख्या

ब. ऐसे उपकरण जिनका मूल्य 1.00 लाख से कम है।

उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	ऐसे उपकरणों की संख्या जो उपकरण एक संतोषप्रद ढंग से सक्रिय हैं ।

स. आई.एम.एफ. की देखरेख में जिन पर्सनल कम्प्यूटरों और सम्बद्ध उपस्करों को रखा जाना है– उनकी क्या संख्या है ?

8. आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में आई.एम.एफ. को स्थापित करने का क्या औचित्य है– यदि इसकी आवश्यकता है।

9. आई.एम.एफ. को स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम अतिरिक्त 20 वर्गमीटर जगह जरूरी है – क्या वह आपके पास है ?

10. आपके उपकरणोां और कम्प्यूटरों के लिए (जिनकी लागत रू0 1.00 लाख से अधिक है) वार्षिक प्रबन्धन का अनुबन्ध है ?
11. यदि हाँ– तो वार्षिकी प्रबन्धन अनुबन्ध पर प्रतिवर्ष, पिछले तीन वर्षों में आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जो व्यय किया गया है, वह कितना है ?
12. यदि आपका कोई वार्षिकी प्रबन्धन नहीं है, तो वर्तमान में आप अपने उपकरणों और इलैक्ट्रॉनिक लौह उपकरणों का प्रबन्धन किस प्रकार कर रहे हैं ?
13. उपकरणों के सुधार और रखरखाव से जुड़े वे कौन से विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनकें लिए आप आई.एम.एफ. के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता प्राप्त कर सकेंगे ?
14. क्या स्थानीय रूप से आपके पास वह विशेषज्ञता है कि आप उपकरण प्रबन्धन के कार्य की अनुपूर्ति कर सकते हैं ?
15. आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जो उपकरण और कम्प्यूटर है क्या आपके पास उनके अद्यतन आधारभूत आँकड़े हैं ?
16. अपने उपकरणों और कम्प्यूटरों के वास्ते क्या आपके पास अवयवों और अतिरिक्त पुर्ज़ों का संग्रह रखा हुआ है ?
17. इस सुविधा को स्थापित करने और इसे जारी रखने के लिए जो बजट की आवश्यकताएँ हैं

अ अनावर्ती (प्रथम वर्ष के दौरान एकैकी अनुदान)

परीक्षण/मापन उपकरण	अपेक्षित राशि (रूपए)
कुल	

ब. आवर्ती

व्यय संबंधी मद	अपेक्षित राशि
1. तकनीकी कर्मचारी 2. उपकरणों के अतिरिक्त पुर्ज़े, अवयव, उपभोज्य वस्तुएँ 3. प्रशिक्षण कार्यक्रम	
कुल	

आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का कुल जोड़

18. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय यदि कोई अन्य सूचना देना चाहें

रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल

(कार्यालय सील)

स्थानः

तिथि

संलग्नक –ii

व्यय संबंधी प्रगति की रिपोर्ट

विश्वविद्यालय.....

अनुदान पत्र सं0 एवं तिथि .....

वास्तविक व्यय का विवरण और अवधि.....

अनावर्ती

क्र.सं.	मदों	वि.वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित अनुदान	आयोग द्वारा दिया गया अनुदान	यथार्थ व्यय तिथि	अप्रयुक्त शेष राशि	टिप्पणियाँ
कुल						

आवर्ती

क्र.सं.	मद	आयोग से अनुमोदित अनुदान	आयोग द्वारा अभी तक दिया गया अनुदान	वास्तविक व्यय अभी तक जो किया जा चुका है । तिथि :	अप्रयुक्त शेष राशि	टिप्पणियाँ विश्वविद्यालय के पास अप्रयुक्त राशि के शेष बचने का क्या औचित्य है ।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए यह अनुदान स्वीकृत किया गया था, वह अनुदान उस उद्देश्य के लिए उन निबन्धन व शर्तों के अनुसार इस्तेमाल कर दिया गया है– जो शर्तें इस अनुदान से संलग्न हैं ।

यदि किसी भी जाँच अथवा लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति के परिणाम स्वरूप यदि आगे किसी समय में कोई अनियमितता ध्यान में आ जाती है तो उस स्थिति में, जो भी आपत्तिजनक राशि है, उसके लौटान, उसके समायोजित करने अथवा उसको नियमित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
वित्त अधिकारी	रजिस्ट्रार

टिप्पणी : ऐसी राशि, जिसको लेकर कोई आदेशित सामान मँगाया गया है अथवा कोई आदेश दिया जाना है– किसी प्रकार की वचन बद्धताएँ की गई हैं अथवा ऐसी राशि जो कि विशेष वस्तुओं के लिए अभी उपलब्ध की जाने वाली है वह राशि इसमें सम्मिलित नहीं होगी ।